(अनवान अमनदीप बनाम गुरलीन
राजस्व वाद संख्या :– 264 / 2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 264 / 2024

1. अमनदीप कौर पत्नी श्री जंग सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल–हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. जंग सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल–हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

.... **वादीगण**

बनाम

1. गुरलीन पत्नी श्री विक्रम सिंह जाति बाजीगर निवासी 15 एफ फर्स्ट मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. जगवीर सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. ज्ञान सिंह पुत्र श्री साधु सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. नत्था सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. पवन कौर पत्नी श्री अमरिन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी 25 एफ एफ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. बलजीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. बलवन्त कौर पत्नी श्री पाला सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. मनजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह जाति बाजीगर निवासी 15 एफ फर्स्ट मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. रूप सिंह पुत्र श्री चम्बा सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. रूप सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. नाबालिग सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह संरक्षक [illegible] माता श्रीमती गुरलीन कौर पत्नी श्री विक्रम सिंह जाति बाजीगर निवासी एफ फर्स्ट मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. हरनेक सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. शाखा प्रबधंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिर्जेवाला तहसील व जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 14

प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 2 एल बड़ा पटवार हल्का मटीली राठान "ठ" तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 18, 38 व 44 की कुल 13.814 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि (संयुक्त खाता) में से वादीया संख्या 01 अमनदीप कौर के नाम से 1265 / 13814 हिस्सा यानि 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 02 जंग सिंह के नाम से 2277 / 13814 हिस्सा यानि 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 12 के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न है। उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त की खाता भूमि है। उक्त रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है, मगर वादीगण ने एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काफी समय पूर्व उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण काबिज चले आ रहे हैं:–

(1) अमनदीप कौर पत्नी श्री जंग सिंह जाति बाजीगर साकिन देह खातेदार का हिस्सा:–
चक 2 एल बड़ा पटवार हल्का मटीली राठान "ठ" तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71 का मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 5 / 1(0.227), 5 / 2(0.026), 6(0.253), 15(0.253), 16(0.253), 25 (0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि ।

(2).जंग सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति बाजीगर निवासी साकिन देह खातेदार का हिस्सा:– चक 2 एल बड़ा पटवार हल्का मटीली राठान "ठ" तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71 का मुरब्बा नम्बर 44 का किला 1 / 1 (0.228), 1 / 2(0.025), 2 / 1(0.228), 2 / 2(0.025), 3 / 1(0.228), 3 / 2(0.025), 4 / 1(0.227), 4 / 2(0.026), 8(0.253), 9(0.253), 17(0.253), 18(0.253), 23(0.253) कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह आश्वासन दिया गया था कि जब भी आप चाहोगे, हम सहमति से उक्त भूमि का किलावार विभाजन करवाकर आपके कब्जाकाश्त की भूमि तुम्हारे नाम से दर्ज करवा देगें, इसी विश्वास पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अपने हिस्सा की उक्त भूमि में काफी रूपया खर्च करके व भारी मेहनत करके सुधार कार्य करवाए हैं तथा वर्तमान में वादीगण का रकबा काफी उपजाउ व कीमती हो चुका है। उक्त रकबा संयुक्त खातेदारी होने के कारण कब्जाकाश्त, पानी बारी आदि को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा लगान आदि अदा करने में भी परेशानी होती है तथा वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंछित रह जाते है । इसलिए वादीगण उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाकर किलावाईज भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 12 से बार–बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 12 आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 12 दिनांक 05.12.2024 को सहमति से बंटवारा करवाने से इनकार कर दिया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) डिक्री खाता विभाजन चक 2 एल बड़ा पटवार हल्का मटीली राठान "ठ" तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71 का मुरब्बा नम्बर 18, 38 व 44 की कुल 13.814 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि (संयुक्त खाता) में से वादीया संख्या 01 अमनदीप कौर के नाम से 1265 / 13814 हिस्सा यानि 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 02 जंग सिंह के नाम से 2277 / 13814 हिस्सा यानि 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता विभाजन कर वादीया संख्या 1 अमनदीप कौर के नाम से मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 5 / 1(0.227), 5 / 2(0.026), 6(0.253), 15 (0.253), 16(0.253) 25 (0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि तथा वादी संख्या 2 जंग सिंह के नाम से मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 1 / 1 (0.228), 1 / 2 (0.025), 2 / 1(0.228), 2 / 2 (0.025), 3 / 1(0.228), 3 / 2(0.025), 4 / 1(0.227), 4 / 2(0.026), 8(0. 253), 9 (0.253), 13 (0.253), 18 (0.253) 23 (0.253) कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया तथा वादीगण का अलग–अलग खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने, अलग लगान मामला कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(3)अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 की तलबी विधिवत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादीगण की मुख्य बहस यह रही कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादी द्वारा वाद खाता विभाजन का पेश किया गया है। वादीगण की भूमि का तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2071–2074 चक 2 एल बड़ा, पटवार हल्का मटीलीराठान बी, भू.अ.नि.क्षेत्र. मिर्जेवाला, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 71 का अवलोकन किया गया। मुतातिबक जवाबंदी वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की भूमि है। वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमंक 4833 दिनांक 04.07.2025 के विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर करते हुए वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	अमनदीप कौर पत्नी जंगसिंह (वादी संख्या 1)	चक 2 एल बडा के खाता संख्या 71 / 45 के मु.नं. 44 के किला नं. 5 / 1(0.227नहरी), 5 / 2(0.026 खला), 6(0.253), 15(0.253), 16(0.253), 25(0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला
2	जंग सिंह पुत्र करतार सिंह(वादी संख्या 2)	चक 2 एल बडा के खाता संख्या 71 / 45 के मु.नं. 44 के किला नं. 1 / 1(0.228), 1 / 2(0.025 खाला), 2 / 1(0.228), 2 / 2 (0.025 खाला), 3 / 1(0.228), 3 / 2(0.025 खाला), 4 / 1(0.227) 4 / 2(0.026 खाला) 8(0.253), 9(0.253), 13(0.253), 18(0.253), 23(0.253) कुल 2.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला (2.176 हैक. नहरी 0.101 हैक. खाला)
3	शेष खाता व रकबा बदस्तूर रहेगा।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Navin Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। [illegible] स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार डिक्री जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(अनवान अमनदीप बनाम गुरलीन
राजस्व वाद संख्या :– 264 / 2024)

पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner